Office of the Principal, Govt. kalidas College Pratappur, District. Surajpur, C.G.
कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कालिदास महाविद्यालय, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
e-mail : govtcollegepratappur@gmail.com Web www.gkdcp.in 07777-271303

Code of conduct for students:-

Every college will have to take admission in government colleges of Chhattisgarh.

- Student will come in decent clothes. In any case His/Her dress should not be provocative.
- Every student will devote His/Her full attention to studies. Along with this extra curricular activities oraganised by the college will also provide full support.
- He/She will behave decently in the college premises, will not use indecent behavior, unparliamentary language, abuses or firearms.
- Every student shall behave politely and courteously with His/Her teachers, officers and employees.
- It is the moral duty of every student to keep college campus clean.
- Consumptions of any type of intoxicants will be strictly prohibited within the limits of the college.
- Spitting here and there, writing dirty things in college wall is strictly prohibited. Students in antisocial and criminal activities strict action will be taken if found.
- He will not demonstrate his demands by spreading agitation, violence or terror. The student will keep himself/herself away from party politics and political parties, to get His/Her demands accepted will not take support of activists or newspapers.
- There will be a complete ban on the use of mobile in the college campus.

STUDY Related Rule:-

- Students will have 75 % attendence in each subject and it follows in N.S.S./N.C.C. Otherwise students are not eligible to sit in annual examination.
- Students will have use laboratory apparatus carefully, keep lab neat and clean.
- He/she will be follow the rules established by the library, he/she will get only the prescribed number of books and he/she will have to pay the prescribed financial penalty for not returning them on time.
- For any difficulties related to studies, he/she will present a representation in front of the teachers or in front of the Principle in a calm manner.
- Vandalism of Fans, lights, switch board in lecture hall, laboratories or reading rooms will be considered a punishable.

Examination Rule:-

- It is mandatory for the students to appear in internal examinations.
- In case of non-appearance in the internal examinations due to illness, the student will submit a medical certificate from the government doctor and will appear in the examination after becoming healthy.
- Any attempt to take undue advantage or by unfair means in or in connection with the examination will be treated as serious misconduct.

Authority of college Administration:-

- if the student is found accused of any immoral or serious crime, his/her admission will be canceled immediately.
- If a student is found involved in ragging, then according to Chhattisgarh prohibition of Harassment in Educational Institutions Act 2001, for ragging or abetting ragging, can be punished with imprisonment of up to five years or a fine of five thousands rupees or both.
- If the student doesn't pay the fee within the time limit, his/her admission will be treated as cancelled.
- If a student hides or misrepresents facts in any application, his/her admission will be canceled and he/she will be separated from the college.

  On the application form submitted by the student seeking admission in the college, it is mandatory for his parent or guardian to sign the declaration and this signature will be done in front of the admission committee.

PRINCIPAL
Govt. Kalidas Mahavidyalaya
Pratappur, Distt.-Surajpur (C.G.)

Created with Scanner Pro

Office of the Principal, Govt. kalidas College Pratappur, District. Surajpur, C.G.
कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कालिदास महाविद्यालय, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
e-mail : govtcollegepratappur@gmail.com Web www.gkdcp.in 07777-271303

महाविद्यालय के कर्मचारियों की आचार संहिता

- महाविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीगण शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार महाविद्यालय में उपस्थित होवें।
- शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करें।
- महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारीगण अपने कार्यों द्वारा सभी छात्रों में मर्यादा को आवश्यक रूप से सम्मान व पहचान देंगें।
- अधिकारी कर्मचारी जहां कार्यरत है, विद्यार्थियों के लिए एक खुशहाल कार्यस्थल उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझें।
- सभी कर्मचारीगण/अधिकारीगण अपने सर्वोच्च एवं मानको द्वारा व्यक्ति व समाज की भलाई का कार्य करेगा।
- नीतिगत निर्णय लेते समय मेरिट के आधार पर निर्णय लिए जायेंगे न कि व्यक्तिगत पसंद के आधार पर।
- महाविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी दूसरे व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करे।
- प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने कार्यों के लिए अनिवार्यरूप से उत्तरदायी होना चाहिए।
- महाविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने संपत्ति की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना चाहिए।
- महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारीगण को इन नियमों के पालन व समर्थन में नेतृत्व व उदाहरण के रूप में कार्य करना चाहिए।

प्राचार्य
शासकीय कालिदास महाविद्यालय, प्रतापपुर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Kalidas Mahavidyalaya
Pratappur, Distt.-Surajpur (C.G.)

Created with Scanner Pro

Office of the Principal, Govt. kalidas College Pratappur, District. Surajpur, C.G.
कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कालिदास महाविद्यालय, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
e-mail : govtcollegepratappur@gmail.com Web www.gkdcp.in 07777-271303

Code of Conduct of College Employees

- Every staff of the college will necessarily respect and recongnize dignity in all students through their actions.
- Where the officer employee is working , a happy workplace should be provided for the students.
- All the employees/ Officers will work for the good of the person and society by their highest and highest standards.
- While taking policy decisions, decisions will be taken on merit and not on personal preference.
- Every offiver/employee of the college should respect the right of privacy of the other person.
- Every officer/employee should be essentially responsible for their work.
- Every officer/ employee of the college should declare their assets publicly.
- Every college employee/ officer should work as a lead and example in execution and supporting these rules.

Principal
Govt. Kalidas College Pratappur
Dist. Surajpur (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. Kalidas Mahavidyalaya
Pratappur, Distt. Surajpur (C.G.)

Created with Scanner Pro

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण/संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा, इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेश भूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा,साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर मे वह शालीन व्यवहार करेगा, अभ्रद व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग ,गाली गलौज, मारपीट, अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखने प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास का सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दिवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में सलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मॉगो का प्रदर्शन, आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा, तथा अपनी मांगो मनवाने के लिए राजनीतिक दलो, कार्यकर्त्तोंओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर मे मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह N.C.C./N.S.S.में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न वापस करने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांति पूर्वक दंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोडफोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परिक्षाओं त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परिक्षाओं मे सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावस आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार की अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधन का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

PRINCIPAL
Govt. Kalidas Mahavidyalaya
Pratappur, Distt.-Surajpur (C.G.)

Created with Scanner Pro

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार तंत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़, शैक्षणिक संस्थानों में प्रताणना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल का कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

   महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्र पर उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेगा।

PRINCIPAL
Govt. Kalidas Mahavidyalaya
Pratappur, Distt.-Surajpur (C.G.)

Created with Scanner Pro